उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की बैठक दिनांक 20-3-91 को परिषद मुख्यालय 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में हुई व्दितीय बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | श्री बनवारी सिंह यादव | अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद। | अध्यक्ष |
| 2- | सुश्री विभा पुरी | विशेष सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि) | सदस्या |
| 3- | श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी | संयुक्त सचिव, आवास (आवास सचिव के प्रतिनिधि) | सदस्य |
| 4- | श्री जे0पी0भार्गव | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक | सदस्य |
| 5- | श्री एच0एस0चौरासिया | प्रबन्ध निदेशक, जल निगम | सदस्य |
| 6- | श्री अतुल कुमार गुप्ता | आवास आयुक्त, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद। | सदस्य |
| 7- | श्रीमती चन्द्रा निगम | सचिव/ संयुक्त आवास आयुक्त उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद। | सचिव |

बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात् निम्न मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

| क्र0सं0 | विषय | संकल्प संख्या | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1- | दिनांक 30-1-91 तथा 4-2-91 को हुई प्रथम बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि। | 11/(1)/91 | दिनांक 30-1-91 तथा 4-2-91 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। |
| 2- | दिनांक 30-1-91 एवं 4-2-91 की अनुपालन आख्या। | 11/(2)/91 | दिनांक 30-1-91 एवं 4-2-91 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से परिषद को अवगत कराया गया। |
| 3- | योजना सं0-3, दमदमा कोठी, मुरादाबाद में निर्मित 57 एम0-2(70/142 प्रकार) भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(3)/91 | परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| 4- | योजना सं0-1 शिकोहाबाद में 129 नग अल्प आय वर्ग (129/60 प्रकार) के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(4)/91 | -तदैव- |
| 5- | सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-6 में 23वीं हडको परियोजना के अन्तर्गत 316 नग दु0आ0व0(13/25 प्रकार) के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय | 11/(5)/91 | परिषद व्दारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6- | सिकन्दरा योजना आगरा के सै0-4(अवशेष) में निर्माणाधीन 145 नग दु0आ0व0 18/40 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(6)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| 7- | परिषद की योजना सं0-1 औरया में 13 नग 68/142 प्रकार के उच्च आय वर्ग के फिनिश्ड भवनों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(7)/91 | -तदैव- |
| 8- | योजना सं0-1, रुद्रपुर में 4 नग अ0आ0व0 29/60 प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(8)/91 | -तदैव- |
| 9- | जागृति बिहार योजना सं 0-6 मेरठ के सै0-9 स्थित नवम हडको परियोजना के अन्तर्गत 820 नग 18/30 प्रकार के दु0आ0व0 भवनों के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति। | 11/(9)/91 | -तदैव- |
| 10- | अयोध्या मार्ग योजना फैजाबाद में स्वयं वित्त पोषित (तृतीय सेमी फिनिश्ड) एक नग भवन की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(10)/91 | -तदैव- |
| 11- | दिल्ली मार्ग योजना सं0-1 मेरठ में सै0-1, द्वितीय हडको परियोजना के अन्तर्गत 288 नग (19/41 प्रकार) अ0आ0व0 भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(11)/91 | -तदैव- |
| 12- | योजना सं0-2, कानपुर में 8वीं हडको परियोजना के अन्तर्गत 348 नग 13/25 प्रकार के दु0आ0व0 भवनों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(12)/91 | -तदैव- |
| 13- | सिकन्दरा योजना आगरा के सै0-9 में 68 नग स्वयं वित्त पोषित वर्ग-85 टाईप-3(59/152)प्रकार के भवनों की पुनरीक्षित एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(13)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 14- योजना सं0-1, शिकोहाबाद में शासन ऋण के अन्तर्गत 250 नग दु0आ0व0 (18/40 प्रकार) के भवनों के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(14)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| 15- जागृति बिहार योजना मेरठ (योजना सं0-6) के सैक्टर-5 में 11वीं हडको परियोजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के पूर्व स्वीकृत 416 नग (15/25 भवनों के स्थान पर 367 भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(15)/91 | -तदैव- |
| 16- बेतियाहाता (दक्षिणी) योजना गोरखपुर में प्रस्तावित 23 नग 71/181 (सेमी फिनिश्ड) प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/716)/91 | -तदैव- |
| 17- बेतियाहाता, दक्षिणी योजना गोरखपुर में प्रस्तावित 9 नगों 95/253 एच0आई0जी0 (सेमी फिनिश्ड) प्रकार के भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(17)/91 | -तदैव- |
| 18- नेहरूनगर योजना सं0-1 देहरादून में चतुर्थ परियोजना के अन्तर्गत निर्मित 14 नग (59/181) प्रकार के मध्यम आय वर्ग भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(18)/91 | -तदैव- |
| 19- लखनऊ स्थित योजनाओं में परिषद फण्ड द्वारा निर्मित किये जाने वाले म0आ0व0 एवं उ0आ0व0 भवनों को स्वयं वित्त पोषित परियोजना में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में। | 11/(19)/91 | -तदैव- |
| 20- नेहरूनगर योजना सं0-1 देहरादून में स्वयं वित्त पोषित फिनिस्ड परियोजना 86 के अन्तर्गत 6 नग (42/108 प्रकार टाइप द्वितीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति का पुनरीक्षण। | 11/(20)/91 | -तदैव- |
| 21- वसुन्धरा योजना फेज प्रथम गाजियाबाद के अन्तर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के अन्तर्गत हडको द्वारा स्वीकृत रू0 10.00 करोड़ की शर्तों के सम्बन्ध में। | 11/(21)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि अनुबन्ध निष्पादित कराने हेतु प्रस्तावों परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है ? अब तक कौन करता रहा है तथा क्या प्रकिया रही है ? |

| | | |
|---|---|---|
| 22- हडको पोषित-2 योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में। | 11/§22§/91 | अनुमोदित। परन्तु पावर आफ अटॉर्नी व लियन सम्बन्धी प्रपत्रों को कौन करता रहा है, सूचित करें। |
| 23- परिषद आवासों के लिए वर्तमान किराया प्रणाली के स्थान पर फ्लैट रेट का निर्धारण। | 11/§23§/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। |
| 24- दुर्गा देवी चैरिटेबिल तथा धार्मिक ट्रस्ट, मेरठ की भूमि के सम्बन्ध में। | 11/§24§/91 | प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि ट्रस्ट मैनेजमेंट में आवास विकास परिषद का प्रतिनिधि रहेगा। |
| 25- उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद सबार्डिनेट§कम्प्यूटर एण्ड डाइंग स्टाफ§सर्विस रेगुलेशन्स-1977 के विनियम 5-1§1§ में संशोधन हेतु प्रस्ताव। | 11/§25§/91 | अगली बैठक हेतु विचारार्थ स्थगित। |
| 26- श्री गुरु प्रसाद यादव को नकद में आवंटित सम्पत्ति को बिना भुगतान परिवर्तन शुल्क लिए किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में। | 11/§26§/91 | इस प्रकरण पर अलग से कार्यवाही की जा चुकी है। |
| 27- परिषद की गाजियाबाद भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-3 गाजियाबाद के सम्बन्ध में। | 11/§27§/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव अस्वीकार किया गया क्योंकि समिति ने अवार्ड से पूर्व केवल संविदा की थी, जिससे उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते। |
| 28- श्री अनिल कुमार मेहरोत्रा को दमदमा कोठी§जिगर बिहार मुरादाबाद के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा में प्रदिष्ट उच्च आय वर्ग भवन सं0-ए0-30 के विरुद्ध देय अवशेष धनराशि का भुगतान भारतीय मुद्रा में स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में। | 11/§28§/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि निम्न शर्तों के साथ यह सुविधा दी जा सकती है।<br>1- दायर वाद वापस किया जाय।<br>2- परिवर्तन शुल्क 25 प्रतिशत लिया जायेगा।<br>3- विलम्ब के लिये नियमानुसार दण्ड ब्याज लगाया जाय।<br>4- नकद भुगतान किया जाय। |
| 29- श्री वीरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता, नि0खं0-15 लखनऊ को विशेष परिस्थितियों में वाहन अग्रिम स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में। | 11/§29§/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |
| 30- विकास नगर योजना लखनऊ के सं0-4 में प्रस्तावित 11 नग उ0आ0व0§57/235 प्रकार§ सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/§30§/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |

| | | |
|---|---|---|
| 31- योजना सं0-1, मथुरा में निर्मित 13 नग दुकानों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(31)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| 32- पंचवटी योजना, सीतापुर में तृतीय हडको परियोजना के 16 नग मध्यम आय वर्ग (53/127 प्रकार) भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(32)/91 | -तदैव- |
| 33- योजना संख्या-2, कानपुर में 15वीं हडको परियोजना के अन्तर्गत 465 नग 13/25 प्रकार के दुर्बल आय वर्ग भवनों हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(33)/91 | -तदैव- |
| 34- योजना संख्या-1 रूद्रपुर में निर्मित किये गये 52 नग 18/30 प्रकार के दुर्बल आय वर्ग भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(34)/91 | -तदैव- |
| 35- योजना संख्या-10, मेरठ के सेक्टर-1 व 3 का ट्रंक एवं आन्तरिक तथा सेक्टर-2 व 4 की ट्रंक विकास कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(35)/91 | -तदैव- |
| 36- शिकोहाबाद योजना संख्या-1 में 100 नग अ0 आय वर्ग 18/41 ए0 प्रकार के भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। | 11/(36)/91 | -तदैव- |
| 37- सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-11 में निर्माणाधीन 980 नग दुर्बल आय वर्ग 15/25 प्रकार के भवनों के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में। | 11/(37)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |
| 38- बसुन्धरा योजना सं0-3 गाजियाबाद में समाविष्ट श्री आर0पी0चड्ढा की भूमि खसरा सं0-517, 523, 524 एवं 528 स्थित ग्राम प्रहलादगढ़ी जिला गाजियाबाद के सम्बन्ध में। | 11/(38)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सामूहिक निरीक्षण हेतु निम्न समिति का गठन किया गया:-<br>1- अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।<br>2- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।<br>3- मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।<br>समिति की संस्तुति परिषद के समक्ष विचारार्थ रखी जाय। |

| | | |
|---|---|---|
| 39- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की गाजियाबाद योजना सं0-3 गाजियाबाद में समाविष्ट अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 की भूमि के सम्बन्ध में। | 11/(39)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के अनुसार कमेटी गठित कर दी जाय जो समिति की भूमि को समायोजित करने की सम्भावना को देखने के लिए एवं समायोजित करने की शर्तों का उल्लेख करते हुये रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। |
| 40- परिषद की पठानपुरा भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2 सहारनपुर में समाविष्ट श्री सल्तानपुर अख्तर की भूमि के सम्बन्ध में। | 11/(40)/91 | सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परिषद द्वारा पूर्व में दिनांक 11/20-9-89 के संकल्प के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय। |
| 41- आवास परिषद की भेलपुरा योजना वाराणसी में समाविष्ट ग्राम भदैनी के खसरा सं0 2298 में अर्जनमुक्त महावीर सिल्क मिल के निर्माणों के साथ आवश्यक खाली भूमि अर्जन मुक्त करने के सम्बन्ध में। | 11/(41)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक स्थल को निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। |
| 42- परिषद की जिगर बिहार योजना, मुरादाबाद के किनारे राम गंगा नदी के बाढ़ से कटाव रोकने के लिए बाढ़ बचाव कार्यक्रम। | 11/(42)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन किया गया। |
| 43- उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम की कार्य प्रणाली पर परिषद के निर्माण एवं विकास कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में। | 11/(43)/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर और परीक्षण करा लिया जाय। |
| 44- परिषद की सिकन्दरा भूमि विकास एवं गृहस्थान आगरा में कथित उपकार सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में। | 11/(44)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न सदस्यों की समिति गठित की गयी जो प्रकरण का अध्ययन कर अन्तिम निर्णय लेगी। निर्णय परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ रखा जायगा तथा यह भी निर्णय लिया गया कि समिति जो निर्णय लेगी वह समिति का अन्तिम निर्णय होगा।<br>1- अध्यक्ष, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।<br>2- आवास आयुक्त।<br>3- संयुक्त सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0शासन।<br>4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक<br>5- विधि परामर्शी। |
| 45- सेवा निवृत्ति सरकारी सेवकों के अवकाश लेखो में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान। | 11/(45)/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। |

| | | |
|---|---|---|
| 46- परिषद के ग्रुप "घ" के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को समूह "ग" के निम्नतम श्रेणी के लिपिकीय पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में। | 11/§46§/91 | परिषद द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि परिवर्तन करना संभव नहीं है। |
| 47- श्री शिव प्रसाद अवस्थी को परिषद की राजाजीपुरम योजना, लखनऊ में आवंटित मध्यम आय वर्ग भवन सं0-ए0-36 के दण्ड ब्याज माफ करने के सम्बन्ध में। | 11/§47§/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। |
| 48- परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट मा0 विधायक श्री रिज़वान ज़हीर खान, एच0आई0जी0 भवन संख्या-4/1003 विकल्प परिवर्तन शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में। | 11/§48§/91 | -तदैव- |
| 49- सरदार बेन्त सिंह के पंजीकरण के सम्बन्ध में। | 11/§49§/91 | -तदैव- |
| 50- स्व0 श्री अमर नाथ सिन्हा सहायक श्रेणी द्वितीय निर्माण खण्ड-15, लखनऊ को विकास नगर योजना लखनऊ में प्रदिष्ट अल्प आय वर्ग भवन सं0-3/552 के विरुद्ध देय धनराशि का 50 प्रतिशत माफ करने के सम्बन्ध में। | 11/§50§/91 | -तदैव- |
| 51- मा0अध्यक्ष§म0§उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को भवन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में। | 11/§51§/91 | सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष§म0§को परिषद की योजना में भवन प्राथमिकता पर आवंटित किये जाने में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये:-<br>1- यदि उस नगर में अपना कोई आवासीय भवन न हो तो एक आवासीय भवन जो रिक्त हो, निम्न छूट के साथ आवंटित किया जा सकता है।<br>✓2- मूल्यांकन निर्देशिका के अनुसार निर्माण पर हुए वास्तविक व्यय एवं प्रत्याशित व्यय पर आकस्मिक व्यय के योग पर जो 12 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण/सेन्टेज व्यय का प्राविधान है, से छूट प्रदान की जायेगी।<br>✓3- निर्माण लागत पर जिसमें उपरोक्त व्यय शामिल है पर 2 प्रतिशत रख-रखाव के प्राविधान से छूट प्रदान की जायेगी।<br>✓4- भवनों में 3 प्रतिशत संग्रह व्यय 2 प्रतिशत परिषद एसेट्स तथा 3 प्रतिशत अप्रत्याशित व्यय लिये जाने का प्राविधान है जिसे छूट प्रदान की जाय। |

| | | |
|---|---|---|
| | | उपरोक्त छट देते हुए कुल मूल्य पर नकद भुगतान करने की दशा में 25 प्रतिशत की विशेष छट प्रदान की जायेगी। विलम्ब से भुगतान होने पर दण्ड ब्याज के स्थान पर साधारण ब्याज लगाया जाये। |
| 52- उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद का वर्ष-1990-91 का पुनरीक्षित एवं वर्ष-1991-92 का अनुमानित आय व्ययक। | 11/§52§/91 | परिषद द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। |

पुष्टि की गयी

अध्यक्ष